**प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम**
**एवं जिला कलक्टर उदयपुर**
**निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.**

प्रकरण संख्याः **201/2025** (अपील सूचना का अधिकार)
Jitendra Menaria Add: 171, Srinagar, Gayariyabas, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

**बनाम**

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

## प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

## निर्णय

दिनांकः 14/01/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329376965212832 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 18.10.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 3697369453 दिनांक 04.12.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/201/25/1231–32 दिनांक 05.12.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा जरिये पत्रांक भू.अ./सू. अ.अ./2005/2025/1876 दिनांक 26.12.2025 से न्यायालय को प्रत्युत्तर प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया कि वांछित सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 1644 दिनांक 12.11.2025 द्वारा प्रार्थी को सूचित किया गया कि आप द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। वांछित सूचना अस्पष्ट एवं अधुरी होने के कारण उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। चूंकि प्रार्थी द्वारा आवेदन में वांछित सूचना के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया इसलिए प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः प्रथम अपील सारहीन होने से को खारिज करवाये जाने का आदेश फरमावें।

अपीलार्थी द्वारा परिकथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत दिनांक 18.10.2025 को आवेदन अंतर्गत मेरे द्वारा 22 अगस्त 1987 को श्री नोक लाल मेनारिया द्वारा 12 विक्रेताओं खसरा नंबर 118 रकबा 0.1700 हैक्टेयर के बेचान का विक्रय पत्र एवं इकरारनामा की प्रति चाही गई थी। सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिर्वा द्वारा कहा गया कि वांछित सूचना स्पष्ट एवं अधूरी होने के कारण उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। अतः अनुरोध है कि सूचना अंतर्गत चाहे गये विक्रय पत्र एवं इकरारनामा आपसी बंटवाड़ा की प्रति उपलब्ध करवाने का कष्ट करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपीलार्थी का आवेदन इस आधार पर निरस्त किया गया है कि

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में चाही गई सूचना के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया, जिससे अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवायी जा सकी। पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन साथ विक्रय पत्र एवं आपसी बंटवाड़ा की प्रति संलग्न की गई है। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अपीलार्थी को नियमानुसार 15 दिवस में उपलब्ध कराये तथा की गई कार्यवाही से इस न्यायालय को भी अवगत कराया जान सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नमित मेहता)
**प्रथम अपील अधिकारी,**
**सूचना का अधिकार अधि. एवं**
**जिला कलक्टर, उदयपुर**